न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी, जिला अजमेर

राजस्व वाद संख्या 14/2019

1. किरण पुत्र रामकुंवार मीणा निवासी उम्मेदपुरा तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

वादी

बनाम

1. दीपक पुत्र कल्याण खारोल निवासी कुशायता तहसील सावर जिला अजमेर
2. तहसीलदार तहसील सावर जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री बिशनसिंह राजावत एडवोकेट वादिया
2. श्री सुरेन्द्र सिंह धन्नावत एडवोकेट वादिया
3. श्री हेमराज कानावत एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1

पीठासीन अधिकारी :– श्री रवि वर्मा (R.A.S.)

निर्णय

दिनांक 30-5-19

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम उम्मेदपुरा तहसील साव जिला अजमेर स्थित जमाबन्दी सं. 2073–76 के खाता संख्या 148 में दर्ज खसरा नं. 669/376 रकबा 0.78 हेक्ट. जो कि वादी के खातेदारी में दर्ज आराजी हैं। जिस पर वादी वर्षो से कब्जे काश्त चला आ रहा हैं उक्त आराजी से प्रतिवादी का कोई वास्ता या सरोकार नहीं हैं। वादी की आराजी के लगवा प्रतिवादी 1 क आराजी खसरा नम्बर 337/637 रकबा 0.81 हैक्ट स्थित हैं। प्रतिवादी आये दिन आराजी की सीमाओं क लेकर लडाई–झगडा आदि करते है व फसल को खुर्द बुर्द करते है जिसका उन्हें कानूनी तौर से को अधिकार नहीं हैं। लडाई झगडे से परेशान होकर वादी ने अपने स्वयं की आराजी की पत्थरगढी हेतु य दावा प्रस्तुत किया है जिसे स्वीकार फरमाया जा... आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रतिवा संख्या 2 को दिया जावें।

हमनें वादी का वाद दर्ज मुकदमा रजिस्टर ... व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किय प्रतिवादी 1 की ओर से पावर, जवाब मय काउन्टर ... किया। उभयपक्ष ... बहस सुनी गई संक्षि विवरण निम्न प्रकार हैं –

बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने वादग्रस्त तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया कि व की वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम ग्राम उम्मेदपुरा तहसील सावर जिला अजमेर स्थित जमाबन्दी सं. 2073–

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:46:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

के खाता संख्या 148 में दर्ज खसरा नं. 669/376 रकबा 0.78 हेक्ट. जो कि वादी के खातेदारी में दर्ज आराजी हैं। जिस पर वादी वर्षो से कब्जे काश्त चला आ रहा हैं। उक्त आराजी से प्रतिवादी का कोई वास्ता या सरोकार नहीं हैं। वादी की आराजी के लगवा प्रतिवादी 1 की आराजी खसरा नम्बर 337/637 रकबा 0.81 हैक्ट स्थित हैं। प्रतिवादी आये दिन आराजी की सीमाओं को लेकर लडाई–झगडा आदि करते है व फसल को खुर्द बुर्द करते है जिसका उन्हें कानूनी तौर से कोई अधिकार नहीं हैं। लडाई झगडे से परेशान होकर वादी ने अपने स्वयं की आराजी की पत्थरगढी हेतु यह दावा प्रस्तुत किया है जो स्वीकार योग्य बनता हैं। वादी ने वादग्रस्त आराजी की पूर्व में दिनांक 16.05.2018 को सीमाज्ञान करवाया था जिसकी मौका रिपोर्ट व नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 की नकल वादपत्र को अपने पक्ष में सिद्ध करने हेतु पेश की है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 पूर्व में किये गये सीमाज्ञान से संतुष्ट नहीं है तथा प्रतिवादी के नाम की जमाबन्दी संवत् 2073–76 खाता नं. 63 की वादी ने पेश की हैं।

बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया है, जिसमें प्रतिवादी 1 ने अपने जवाब दावा में काउन्टर क्लेम में लिखित तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया कि वादी की वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 669/376 जिसके लगवा प्रतिवादी 1 की आराजी खसरा नं. 337/637 भूमि है जो प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज है। वादी का दावा स्वीकार फरमाते हुए प्रतिवादी के आराजी की पत्थरगढी हेतु वादी का दावा मय काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। वादी की वादग्रस्त आराजी स्वयं की खातेदारी में दर्ज है, जिसके लगवा प्रतिवादी 1 की स्वयं की खातेदारी की आराजी स्थित हैं। लिहाजा वादी का वाद व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम दोनों प्रैमा फैसाई होने से वादपत्र का संतुलन भी वादी के पक्ष में होना जाहिर होता हैं। वादपत्र व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम दोनों अपने–अपने हक में सिद्ध होते हैं।

अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम ग्राम उम्मेदपुरा तहसील सावर जिला अजमेर स्थित जमाबन्दी सं. 2073–76 के खाता संख्या 148 में दर्ज खसरा नं. 669/376 रकबा 0.78 हेक्ट. व प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम में दर्ज आराजी खसरा नं. 337/637 रकबा 0.81 हैक्ट की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी हेतु नियमानुसार शुल्क जमा कराकर पत्थरगढी करवा पालना से न्यायालय हाजा को अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 30-5-19 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:46:39 IST
Reason: SelfAttested